



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001



दूरभाष सं. 0294-2421255, 2420013,

Helpline No. 0294-2426262


वेबसाइट. www.udaipurmc.org

क्रमांक:- राजस्व/24-25/28

दिनांक:- 06/06/2024

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम, उदयपुर द्वारा 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 तक राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत सार्वजनिक सड़को से अतिक्रमण हटाने के दौरान जब्त केबिन, थैलागाडी व अन्य सामान को नगर निगम परिसर में रखवाया गया है। इस सम्बन्ध में जब्त सम्पत्ति मालिकों को जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जब्त सम्पत्ति को नोटिस प्रकाशन के एक माह के भीतर नियमानुसार आवेदन व जुर्माना जमा कराने के पश्चात अपनी सम्पत्ति प्राप्त करें। निर्धारित समय सीमा के बाद उक्त सम्पत्ति को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 (5), (9) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति का अधिहरण कर राशि राजकोष में जमा करायी जायेगी। अधिहरण कार्यवाही के पश्चात किसी प्रकार का उजर ऐतराज स्वीकार्य नहीं होगा।


महापौर

नगर निगम, उदयपुर


आयुक्त

नगर निगम, उदयपुर

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रबन्धक निदेशक राजस्थान संवाद सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त विज्ञप्ति राज्य स्तरीय समाचार पत्र के उदयपुर संस्करण में प्रकाशित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी, विद्युत शाखा को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन नगर निगम की वेबसाइट एवं मोबाईल एप पर करावें।
3. प्रेस सलाहकार नगर निगम, उदयपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में आम सूचना की जानकारी का प्रकाशन करावें।


आयुक्त

नगर निगम, उदयपुर